

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क०/निर्माण/आर्गेनिक शेड/19-20 / 2308

भोपाल, दिनांक: 26-11-19

प्रति,

सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति

जिला

मध्यप्रदेश ।

विषय:—मंडियों में आर्गेनिक शेड आरक्षित करने बाबत।

—:—

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में निर्मित कवर्ड शेडों में से एक कवर्ड शेड जैविक उत्पादों (आर्गेनिक प्रोडक्ट) के लिए आरक्षित किया जावे एवं उक्त शेड पर जैविक उत्पादों की नीलामी सुनिश्चित की जावे। उक्त शेड पर जैविक उत्पादों की नीलामी हेतु आरक्षित का बोर्ड लगाया जावे। इसके साथ ही साथ मंडियों में जैविक उत्पादों की नीलामी हेतु प्रचार-प्रसार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे।

अधीक्षण यंत्री

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क०/निर्माण/आर्गेनिक शेड/19-20 / 2309

भोपाल, दिनांक: 26-11-19

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)
2. कार्यपालन यंत्री, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)

अधीक्षण यंत्री

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल